

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज राज. सरकार बनाम मु.नं.-07/24 किस्म - दावा.177	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p> <u>21.11.25</u> अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3.12.25 को पेश हो। (14) </p> <p> <u>3.12.25</u> अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 02.01.26 को पेश हो। (14) </p> <p> <u>02.01.26</u> अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3.01.26 को पेश हो। </p> <p> <u>23.01.26</u> अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20.02.26 को पेश हो। </p> <p> <u>20-02-26</u> अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13-3-26 को पेश हो। (14) </p> <p> <u>13.03.26</u> पत्रावली पेश हुई। पदस्थान को धर... </p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व अहकाम जो की तामील हुए
	<p>..... बनाम.....</p> <p>राज. लडार ओमप्रकाश सिंह</p> <p>मु.नं.- 07/24 किस्म - दा. 177 RGP</p>	
	<p>आवाज दिलवाई गई। 044 फस अनुपस्थित रहे। पत्रावली अग्रे समय से गलती से भेजा है। वादी को धा. 2 निर्देशों के बावजूद भी प्रतिवादी नं. 02 लगा 01, 11, 12 की तामिलें। तलाका समन पेश नहीं किन्तु निर्देशों को अवहेलना की गई। इससे स्पष्ट है कि फसदारी पत्रावली में कोई भी कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली फसदारी की अदम जारी व अदम फेंकी में खर्च की जाती है। पत्रावली केवल शुभार होकर दाखिल इफ्तार हो।</p>	
	<p>उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p>	